work;

(c) if so, the details of the articles imported during last three years for public distribution purposes, year-wise; and

(d) the details of the proposals of Government thereon in 1996-97 and 1997-98?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) The stock of foodgrains in the Central Pool as on 1.1.1997 was estimated at 19.84 (P) million tonnes comprising 12.94 million tonnes of rice and 6.9 million tonnes of wheat.

(P-Provisional)

(b) Yes, Sir. Government have decided to import upto 2 million tonnes of wheat to meet the domestic needs including those of Public Distribution System and other Schemes of the Government.

(c) The details of the articles imported during the last 3 years for meeting the requirements of Public Distribution System are as under:

Qty. in lakh MT

Year	Wheat	Rice	Sugar	Palmolein
1993-94	4.76	0.56*	—	0.42
1994-95	—	—	9.77	1.07
1995-96	—	—	1.99	2.02

*Against payment of interest dues on old commodity loans outstanding against Vietnam.

(d) During 1996-97, Government have decided to import upto 2 million tonnes of wheat. Till 14.2.97, the State Trading Corporation has finalised contracts for import of 16.75 lakh MTs of wheat. Out of which 5.40 lakh MTs of wheat has arrived at Indian Ports as on 4th March, 1997. A quantity of 1.48 lakh MTs of Palmolein was also imported during 1996-97. Government have not taken a final decision on import of any item for Public Distribution System during 1997-98 so far.

खाद्यान्नों से संबंधित घोटाले

1542. **श्री रामजीलाल:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं, चावल और चीनी के संबंध में पिछले एक वर्ष में कितने घोटाले हुए;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने विगत तीन वर्षों में गेहूं, चावल और चीनी की खरीद किस दर पर की तथा खरीदे गए इस माल की क्वालिटी कैसी थी; और

(ग) इस माल को विगत तीन वर्षों में किन दरों पर बेचा गया और इससे कितना लाभ अथवा हानि हुई?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के आवंटन में अनियमितताओं की कुछ घटना नोटिस में आई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों (गेहूं और धान/चावल) की वसूली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूल्य समर्थन योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य वसूली एजेंसियों द्वारा की जाती है। पिछले तीन विपणन वर्षों के दौरान गेहूं और धान के वसूली मूल्य निम्नानुसार है:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

विपणन वर्ष	गेहूं	धान	
		साधारण	बढ़िया उत्तम
1993-94	330	310	330 350
1994-95	350	340	360 380
1995-96	360	360	375 395
1996-97 (वर्तमान मौसम)	380	380	395 415

भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा अधिसूचित निकासी मूल्यों पर चीनी फैक्टियों से चीनी प्राप्त करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए चीनी के जोनल निकासी मूल्य बताने वाला विवरण—संलग्न है **(नीचे देखिए)**

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के खाद्यान्न (गेहूं और चावल) सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान गेहूं, चावल और चीनी के निर्गम मूल्य निम्नानुसार हैं:—

(रुपये प्रति क्विंटल)

निम्न तारीख से प्रभावी	गेहूं	धान			निम्न तारीख से प्रभावी	चीनी
		साधारण	बढ़िया	उत्तम		
11.1.1993	330	437	497	518	1.2.1994	9.05
1.2.1994	402	537	617	648	10.2.1997	10.50

खाद्यान्नों के संबंध में समर्थन मूल्य में वृद्धि, अधिप्राप्ति लागत में वृद्धि, खाद्यान्नों की उपलब्धता, उपभोक्ताओं की भुगतान सक्षमता, सामान्य अर्थव्यवस्था पर निर्गम मूल्यों के संभावित प्रभाव, गरीबों के हित और बढ़ी हुई लागत को सब्सिडि बजट में खपाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा आवधिक रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य संशोधित किए जाते है। ये मूल्य जानबूझकर आर्थिक लागत से कम रखे जाते हैं ताकि इन्हें जनता के कमजोर वर्गों की पहुंच में बनाया रखा जा सके और सरकार द्वारा इस खाते पर भारी सब्सिडि वहन की जाती है। भारतीय खाद्य निगम को प्रदान की गई कुल खाद्य सब्सिडि में उपभोक्ता सब्सिडि और खाद्यान्नों की रख-रखाव लागत की सब्सिडि शामिल है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों के संबंध में मुहैया की गई सब्सिडि निम्नानुसार है:—

(करोड़ रुपये में)

1993-94	5537.14
1994-95	4509.00
1995-96	4960.30

पिछले तीन वर्षों के लिए गेहूं और चावल की खुली बिक्री के मूल्य बताने वाले विवरण क्रमशः अनुपन-3 और 4 पर दिए गए हैं। **[देखिए परिशिष्ट 180, अनुपन सं० 39]**

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान रोलर फ्लोर मिलों को गेहूं का आवंटन करने में जिन मामलों में अनियमितताओं का पता चला था, उन मामले के राज्यवार ब्यौरे बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	मामले का सार	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	केरल	कार्य न कर रही एक रोलर फ्लोर मिल को गेहूं जारी करने के मामले का पता लगाया गया है।	दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
2.	पश्चिम बंगाल	जुलाई, 1996 के दौरान पांच रोलर फ्लोर मिलों को निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं जारी किया गया था।	संयुक्त प्रबंधक (पी०ओ०), जिसने रोलर फ्लोर मिलों को अधिक मात्रा में गेहूं जारी किया था, का संयुक्त प्रबंधक (पी०ओ०) के पद से स्थानान्तरण कर दिया गया था।

3.	उड़ीसा	कुछ पार्टियों/रोलर फ्लोर मिलों को निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं जारी किया गया था।	उड़ीसा में खुली बिक्री योजना के अधीन गेहूं की बिक्री करने के समय अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रमुख दण्ड के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।
4.	हरियाणा	जिला पुलिस प्राधिकारी, रोहतक द्वारा 6.1.1997 को तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुख्य आरोप यह है कि वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा के एजेंटों द्वारा खुली बिक्री योजनाओं के अधीन गेहूं का आवंटन करने के लिए अवैध पारितोषिक की मांग की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में निजी व्यापारियों के अलावा वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा और भारतीय खाद्य निगम के दो अन्य अधिकारियों के नाम हैं।	भारतीय खाद्य निगम के दो अधिकारियों और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को निलम्बित भी रखा गया है। तत्कालीन वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, हरियाणा की सेवाएं उनके मूल संवर्ग को वापिस सौंप दी गई हैं। यह मामला जांच करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ उठाया गया है।

विवरण

लेवी चीनी के निकासी मूल्य बताने वाला विवरण

सभी भा०चीनी० प्रेड्स

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्र०सं०	जोन	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	800.81	937.73	1071.60
2.	असम, नागालैन्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	815.67	1039.88	1420.07
3.	*बिहार (उत्तरी)	840.92	940.69	1140.37
4.	*बिहार (दक्षिणी)	942.25	1034.70	—
5.	गुजरात (दक्षिणी)	746.60	852.14	938.58
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	778.05	940.93	1055.69
7.	हरियाणा	762.56	861.56	985.43
8.	उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक	751.63	851.05	970.70
9.	शेष कर्नाटक	746.80	889.66	1001.84

10.	केरल, गोवा व तटीय कर्नाटक (A)	805.62	931.75	1127.98
		792.58		
11.	मध्य प्रदेश	812.70	981.36	1112.02
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	804.75	847.68	976.52
13.	महाराष्ट्र (उत्तरी)	801.51	873.27	983.60
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	763.60	824.24	958.33
15.	पंजाब	773.90	871.04	1084.04
16.	राजस्थान	903.16	915.39	1110.45
17.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	782.46	937.38	1049.04
18.	उत्तर प्रदेश	795.62	881.03	994.05
19.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	846.30	938.50	1038.74
20.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	796.80	898.62	981.81

*उत्तरी और दक्षिणी बिहार के जोनों के मूल्य क्रय-कर आदि के संबंध में न्यायालय के अन्तिम आदेशों की शर्त के अध्यधीन है। यदि बिहार के उपर्युक्त जोनों में फैक्ट्रीयों से कोई राशि वसूल की जानी है तो इसे संबंधित चीनी फैक्ट्री द्वारा चीनी मूल्य समीकरण निधि में जमा कराना होगा।

Plan to increase godown capacity of FCI in Andhra Pradesh

1543. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to increase godown capacity of FCI in Andhra Pradesh;

(b) if so, details of such plans;

(c) whether it is a fact that FCI has not planned its storage needs properly; and

(d) the steps proposed to improve FCI operations?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMERS AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजाब को गेहूं, चावल और चीनी का आवंटन

1544. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पंजाब के वितरण हेतु 31 जनवरी, 1997 तक गेहूं, चावल और चीनी की कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए यह आवंटन राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के अनुसार किया गया;

(ग) यदि नहीं, तो गेहूं, चावल और चीनी के कम आवंटन के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या आवश्यक कदम उठा रही है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पंजाब के मामले में जनवरी, 1997 मास के लिए